अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा

MWA No - 16/2013
मनोज कुमार सिंह
बनाम
श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, गोड्डा

/1/03/23

-: आदेश :-

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता एवं श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी को सुना एवं दाखिल कागजातों एवं निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया।

प्रस्तुत अपील विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में निष्पादित न्यूनतम मजदूरी वाद सं0–04/2011 श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, गोड्डा बनाम् मेसर्स रामदास कंसट्रक्शन से संबंधित मामला में दिनांक–27.08.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में यह वाद दायर किया गया जिसे प्रविष्ट की बिन्दु पर सुनवाई के पश्चात् दिनांक–16.02.2013 को विषयगत वाद अंगीकृत करते हुए पक्षकारों को नोटिश निर्गत किया गया।

प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी की ओर से श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी, गोड्डा उपस्थित होकर अपना पक्ष रखते हुए उल्लेख किये है कि विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय का न्यूनतम मजदूरी वाद संख्या–04/2011 में दिनांक–27.08.2012 को पारित आदेश पूरी तरह से न्यायसंगत एवं प्राकृतिक न्याय के पक्ष में है। उनका आगे कथन है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा–20(6) में प्रावधान है कि प्रधिकारी के निदेश की तिथि से अंधिकतम 60 साठ दिनों के अंदर अपील दाखिल करना है। जबकि यह अपील पूर्णतः कालवाधित है जो स्वीकार्य योग्य नही है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा श्रमिको का बकाया मजदूरी भुगतान के साथ–साथ क्षतिपूर्ति राशि को बरकरार रखते हुए वर्त्तमान अपीलवाद को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

विषयगत केस में निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेखबद्ध कागजातों का सम्यक रूप से अवलोकन के उपरांत पाता हुँ कि वादक्रम में आवेदक दिनांक–15.05.2015 तक उपस्थित हुए है परन्तु तत्पश्चात् आवेदक लगातार अनुपस्थित रहे। वादक्रम में सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा आवेदक को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिश निर्गत किया गया परन्तु आवेदक न्यायालय में उपस्थित नही हुए। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा दिनांक–28.04.2011 को पारित आदेश बरकरार रखते हुए आवेदक के द्वारा विषयगत वाद में कोई अभिरूची नही लिये जाने के कारण वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है।

लिखवाया एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by SMITA TOPPO
Date: 2023.05.30 13:14:06 +05:30
Location: 192.168.1.3

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

3. 2022

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।